रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 8, 2007/कार्तिक 17, 1929

No. 490] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 8, 2007/KARTIKA 17, 1929

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 698(अ).—केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (कर्मचारी) नियम, 1964 के अधिक्रमण में एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **लघु शीर्ष और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सतर्कता आयोग (कर्मचारी) नियम, 2007 है ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) है;

(ख) "आयोग" से अभिप्राय केन्द्रीय सतर्कता आयोग है;

(ग) "आयोग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों" से अभिप्राय आयोग के अधिकारी और कर्मचारी हैं और इसमें आयोग द्वारा, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं;

(घ) "अनुसूची" से अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची है;

(ङ) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिनको यहां प्रयोग में लिया गया है किन्तु परिभाषित नहीं किया गया है अपितु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का वही अभिप्राय होगा जो उनके लिए अधिनियम में निर्धारित किया गया है ।

3. **आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की श्रेणियां और वेतनमान.**—आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वरूप और श्रेणी और उनके वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **विभिन्न पदों पर नियुक्ति.**—(1)(क) सचिव, अपर सचिव, विभागीय जांच आयुक्तों तथा ब्रांच अधिकारी के पदों पर की जाने वाली सभी नियुक्तियां, समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय स्टाफिंग योजना की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की सहमति से की जाएंगी ।

(ख) केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए पदों पर नियुक्तियां, संगत पद के अधिसूचित किए गए भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी :

बशर्ते कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ऐसे पदों के संबंध में अधिकतम 12 माह तक की अवधि के लिए स्थानापन्न व्यवस्था करेगा जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं और जिन पर प्रशासनिक कारणों से नियमित नियुक्ति नहीं की जा सकती है ।

(2)(क) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त उसके द्वारा चुने गए व्यक्ति को अपना वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव नियुक्त कर सकता है। ऐसे पद पर नियुक्त होने वाले कर्मचारी की कार्यावधि सतर्कता आयुक्त की कार्यावधि के साथ सहसमाप्य आधार पर की जाएगी :

(ख) सतर्कता आयुक्त, उसके द्वारा चुने गए व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति के आधार पर अपना प्रधान निजी सचिव नियुक्त कर सकता है :

बशर्ते कि इस तरह की नियुक्तियां, केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले संगठनों की अनुमोदित और नियमित सेवा के कर्मचारियों से ही की जाएं। ऐसे पद पर नियुक्त होने वाले कर्मचारी की कार्यावधि सतर्कता आयुक्त की कार्यावधि के साथ सहसमाप्य आधार पर की जाएगी।

5. **सेवा की शर्तें.**—सभी भत्तों, छुट्टी, कार्य ग्रहण अवधि, कार्य ग्रहण के समय वेतन, अधिवर्षिता की आयु और सेवा की अन्य शर्तों के मामलों में आयोग के सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी जो केन्द्र सरकार के तदनुरूपी श्रेणी और वेतनमान वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू हैं।

6. **अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन.**—केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त में निहित होगा जिनकी सहायता सतर्कता आयुक्त करेंगे और ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे सभी कार्य करेंगे जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा किए जाएंगे।

अनुसूची

(नियम 3 देखें)

समूह	क्रम सं.	पद	स्वीकृत पद संख्या	वेतनमान
समूह "क"	1.	सचिव	1	22400-525-24500 रुपए
	2.	अपर सचिव	2	18400-500-22400 रुपए
	3.	मुख्य तकनीकी प्रशिक्षक	2	18400-500-22400 रुपए
	4.	सी.डी.आई. (निदेशक स्तर)	11	14300-450-22400 रुपए
	5.	शाखा अधिकारी (निदेशक स्तर)	4	14300-450-22400 रुपए
	6.	सी.डी.आई. (उपसचिव स्तर)	3	12000-375-16500 रुपए
	7.	शाखा अधिकारी (उपसचिव स्तर)	4	12000-375-16500 रुपए
	8.	विशेष कार्य अधिकारी	2	12000-375-16500 रुपए
	9.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	1	12000-375-16500 रुपए
	10.	अवर सचिव	4	10000-325-15200 रुपए
	11.	तकनीकी परीक्षक	8	10000-325-15200 रुपए
	12.	प्रधान निजी सचिव	2	10000-325-15200 रुपए
		कुल	**44**	
समूह "ख" राजपत्रित	1.	अनुभाग अधिकारी	14	6500-200-10500 रुपए
	2.	सहायक तकनीकी परीक्षक	6	6500-200-10500 रुपए
	3.	निजी सचिव	19	6500-200-10500 रुपए
	4.	अनुसंधान अधिकारी	1	6500-200-10500 रुपए
	5.	सहायक निदेशक (हिन्दी)	1	6500-200-10500 रुपए
		कुल	**41**	
समूह "ख" अराजपत्रित	1.	सहायक	28	5500-175-9000 रुपए
	2.	वैयक्तिक सहायक	17	5500-175-9000 रुपए
	3.	सांख्यिकी सहायक	1	5500-175-9000 रुपए
	4.	कनिष्ठ तकनीकी परीक्षक	5	5500-175-9000 रुपए
		कुल	**51**	

समूह	क्रम सं.	पद	स्वीकृत पद संख्या	वेतनमान
समूह "ग"	1.	हिन्दी अनुवादक	1	4500-125-7000 रुपए
	2.	पुस्तकालय और सूचना सहायक	1	5000-150-8000 रुपए
	3.	डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	4500-125-7000 रुपए
	4.	उच्च श्रेणी लिपिक	20	4000-100-6000 रुपए
	5.	अवर श्रेणी लिपिक	28	3050-75-3950-80-4590 रुपए
	6.	आशुलिपिक	15	4000-100-6000 रुपए
	7.	स्टाफ कार ड्राइवर/जीप ड्राइवर	6	3050-75-4590 रुपए
	8.	डिस्पैच राइडर	1	3050-75-4590 रुपए
		कुल	**73**	
समूह "घ"	1.	गेस्टेटनर ऑपरेटर	1	2650-65-3300-70-4000 रुपए
	2.	रिकॉर्ड कीपर	1	2650-65-3300-70-4000 रुपए
	3.	जीरॉक्स ऑपरेटर	1	2650-65-3300-70-4000 रुपए
	4.	दफ्तरी	13	2610-60-3150-65-3540 रुपए
	5.	जमादार	2	2610-60-3150-65-3540 रुपए
	6.	फराश	2	2550-55-2660-60-3200 रुपए
	7.	चपरासी	42	2550-55-2660-60-3200 रुपए
	8.	चौकीदार	4	2550-55-2660-60-3200 रुपए
	9.	स्वीपर	7	2550-55-2660-60-3200 रुपए
		कुल	**73**	

[फा. सं. 418/4/2003-ए.वी.डी.-IV]

पी. के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2007

G.S.R. 698(E).—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003) and in supersession of the Central Vigilance Commission (Staff) Rules, 1964, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Vigilance Commission (Staff) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003);

(b) "Commission" means the Central Vigilance Commission;

(c) "Other officers and employees of the Commission" means the officers and employees of the Commission and includes those appointed on deputation by the Commission from the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings;

(d) "Schedule" means Schedule annexed to these rules;

(e) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings as assigned to them in the Act.

3. **Categories of officers and employees of the Commission and pay scale.**—The nature and category of officers

and employees of the Commission and the scale of pay thereof shall be as specified in the Schedule.

4. **Appointment to various posts.**—(1)(a) All appointments to posts of Secretary, Additional Secretary, Commissioner for Departmental Inquiries and Branch Officers shall be made in terms of the provisions of the Central Staffing Scheme, as amended from time to time, with the concurrence of the Central Vigilance Commissioner.

(b) The appointment to posts which are not included within the purview of the Central Staffing Scheme shall be made in accordance with the provisions of the notified recruitment rules of the relevant post:

Provided that the Central Vigilance Commissioner may make officiating arrangements for a period not exceeding twelve months, to such posts which do not fall under the purview of Appointments Committee of the Cabinet and on which regular appointment could not be made due to administrative reasons.

(2)(a) The Central Vigilance Commissioner may appoint as his Senior Principal Private Secretary, a person selected by him with a tenure which will be co-terminus with the tenure of Central Vigilance Commissioner;

(b) The Vigilance Commissioner may appoint on deputation basis as his Principal Private Secretary a person selected by him :

Provided that such appointments shall be made from amongst officials of approved or regular service of organizations under Central Government with a tenure which will be co-terminus with the tenure of the Vigilance Commissioner.

5. **Conditions of Service**—The conditions of service of the Secretary, other officers and employees of the Commission in the matter of all allowances, leave, joining time, joining time pay, age of superannuation and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are applicable to officers and employees of the Central Government belonging to corresponding category and scale of pay.

6. **Superintendence, Direction and Management**—The general superintendence, direction and management of the affairs of the Central Vigilance Commission shall vest in the Central Vigilance Commissioner who shall be assisted by the Vigilance Commissioners and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the Central Vigilance Commission.

SCHEDULE

(see rule 3)

Group	S. No.	Post	Sanctioned Strength	Scale of Pay
Group "A"	1.	Secretary	1	Rs. 22400-525-24500
	2.	Additional Secretary	2	Rs. 18400-500-22400
	3.	Chief Technical Examiner	2	Rs. 18400-500-22400
	4.	CDI (Director level)	11	Rs. 14300-450-22400
	5.	Branch Officer (Director level)	4	Rs. 14300-450-22400
	6.	CDI (Dy. Secy. level)	3	Rs. 12000-375-16500
	7.	Branch Officer (Dy. Secy. level)	4	Rs. 12000-375-16500
	8.	Officer on Special Duty	2	Rs. 12000-375-16500
	9.	Sr. Principal Private Secretary	1	Rs. 12000-375-16500
	10.	Under Secretary	4	Rs. 10000-325-15200
	11.	Technical Examiners	8	Rs. 10000-325-15200
	12.	Principal Private Secretary	2	Rs. 10000-325-15200
		TOTAL	**44**	
Group "B"	1.	Section Officer	14	Rs. 6500-200-10500
(Gazetted)	2.	Assistant Technical Examiner	6	Rs. 6500-200-10500
	3.	Private Secretary	19	Rs. 6500-200-10500
	4.	Research Officer	1	Rs. 6500-200-10500
	5.	Assistant Director (Hindi)	1	Rs. 6500-200-10500
		TOTAL	**41**	

Group	S. No.	Post	Sanctioned Strength	Scale of Pay
Group "B"	1.	Assistant	28	Rs. 5500-175-9000
Non-Gazetted)	2.	Perso .al Assistant	17	Rs. 5500-175-9000
	3.	Statistical Assistant	1	Rs. 5500-175-9000
	4.	Junior Technical Examiner	5	Rs. 5500-175-9000
		TOTAL	**51**	
Group "C"	1.	Hindi Translator	1	Rs. 4500-125-7000
	2.	Library and Information Assistant	1	Rs. 5000-150-8000
	3.	Data-Entry-Operator	1	Rs. 4500-125-7000
	4.	Upper Division Clerk	20	Rs. 4000-100-6000
	5.	Lower Division Clerk	28	Rs. 3050-75-3950-80-4590
	6.	Stenographer	15	Rs. 4000-100-6000
	7.	Staff Car Driver/Jeep Driver	6	Rs. 3050-75-4590
	8.	Despatch Rider	1	Rs. 3050-75-4590
		TOTAL	**73**	
Group "D"	1.	Gestetner Operator	1	Rs. 2650-65-3300-70-4000
	2.	Record Keeper	1	RS. 2650-65-3300-70-4000
	3.	Xerox Operator	1	Rs. 2650-65-3300-70-4000
	4.	Daftry	13	Rs. 2610-60-3150-65-3540
	5.	Jamadar	2	Rs. 2610-60-3150-65-3540
	6.	Farash	2	Rs. 2550-55-2660-60-3200
	7.	Peon	42	Rs. 2550-55-2660-60-3200
	8.	Chowkidar	4	Rs. 2550-55-2660-60-3200
	9.	Sweeper	7	Rs. 2550-55-2660-60-3200
		TOTAL	**73**	

[F. No. 418/4/2003-AVD. IV]
P. K. TRIPATHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.